प्रेस नोट ***01/05/2025***

साइबर क्राइम थाना द्वारा साइबर अपराध से बचना के लिए किया गया जागरूक–

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के कुशल निर्देशन में साइबर क्राइम से होने वाले साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने व उनसे बचाव के लिए “साइबर जागरूकता कार्यक्रम अभियान” के तहत थाना साइबर क्राइम मऊ द्वारा वृहस्पतिवार को शारदा नारायण इन्सटीयूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंसेज पहसा, जनपद मऊ के छात्र-छात्राओं व अध्यापको को होने वाले साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया। प्र0नि0 थाना साइबर क्राइम मऊ श्री हरेन्द्र यादव, का अर्वेन्द्र प्रताप मिश्र, का0 शशिकान्त मणि त्रिपाठी व का0 अनूप यादव ने बताया कि आज की आधुनिक दुनिया में तकनीकी सेवाओं का प्रयोग बहुत ही तेजी से किया जा रहा है जिसके हमारे जीवन मे बहुत से लाभ है परन्तु यदि इन सुविधाओ का प्रयोग सजग तरीके से न किया जाए तो हमें इसके बहुत से नुकसान भी हो सकते है। आज साइबर अपराध लोगो के लिए बहुत गम्भीर समस्या बनता जा रहा है । साइबर अपराध के अन्तर्गत साइबर अपराधी लोगों को बैंकिग सेवाओं, शिक्षा क्षेत्र, सरकारी सेवाओं व सोशल मीडिया पर लुभावने ऑफर देकर लोगों के साथ साइबर अपराध करते है जिससे लोगो को धन की हानि के साथ-साथ लोग मानसिक रूप से भी परेशान होते है। साइबर अपराधी बैंकिंग क्षेत्र में लोगों को रिवार्ड देना, केवाईसी अपडेट कराना, लोगों को उनका रिशतेदार बताकर पैसो की मांग करना, टेलाग्राम के माध्यम से ट्रेडिंग कर पैसा कमाने का लालच देकर लोगों से फ्रॉड कर पैसा उनके खातों से ट्रांसफर कर लेते है। ऐसे अपराधों से बचने के लिए लोगो को किसी भी अंजान नम्बर से यदि कॉल आती है और वह आपसे केवाईसी अपडेट करने या अन्य सुविधाए प्रदान करने की बात करता है तो उस पर भरोसा कदापि न करें और किसी भी अंजान लिंक या किसी लालच मे आकर अपने बैंक की निजी जानकारी जैसे एटीएम कार्ड नम्बर, पिन, सीवीवी व ओ.टी.पी किसी से साझा न करें। सोशल मीडिया अपराधों से बचने के लिए सोशल मीडिया पर अंजान व्यक्ति की फ्रैंड रिक्वेस्ट को अनुमति न दे अपनी निजी जानकारी को सोशल मीडिया पर पब्लिक न करें व अपने पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहे तथा सभी सोशल मीडिया ऐप्प में टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखे। किसी भी अनाधिकृत एप्लिकेशन को मोबाईल मे न रखे। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध होता है तो तत्काल टोलफ्री नम्बर 1930 या वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत जरूर करें। साइबर अपराधों के प्रति जागरूक होकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है ।

अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.05.2025 को थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भैसहा मोड़ के पास से अभियुक्त अमन चौहान पुत्र अशोक चौहान निवासी भुन्देशरा बडका गांव थाना रानीपुर जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद नाजायज तमन्चा व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 191/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. अमन चौहान पुत्र अशोक चौहान निवासी भुन्देशरा बडका गांव थाना रानीपुर जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. एक अदद नाजायज तमन्चा व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

05 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 01.05.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्त सरन पुत्र सहती हरिजन, जगदीश पुत्र चन्द्रपति हरिजन, रामबलि पुत्र छोटेलाल निवासीगण बुढावर थाना दोहरीघाट, थाना रामपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त सलाउद्दीन पुत्र सलीम निवासी बस्ती बरसी निधियाव थाना रामपुर व थाना मधुबन पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त हरि राजभर पुत्र रामवृक्ष राजभर निवासी भिलई फिरोजपुर थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।